उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 137/XX–7/2019–01(69)2016
देहरादूनः दिनांक 10 फरवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 में नये खण्ड (ठ), खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें, अर्थातः–

(ठ) "पुलिस मुख्यालय" से पुलिस महानिदेशक कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून अभिप्रेत हैं।
(ण) "चयन समिति" से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए नियम रख दिये जायेंगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(ब) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होगें, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख	5(ब) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होगें, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षो

संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षो में कोई लधु दण्ड ना मिला एवं विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो।

टिप्पणी जहां विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रकिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो ऐसी दशा में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

में कोई लधु दण्ड ना मिला एवं विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो।

दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मी को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उसका पदोन्नति परिणाम सीलबन्द लिफाफे में रख दिया जायेगा। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

टिप्पणी जहां विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रकिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो ऐसी दशा में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञाप्ति किये जाते है तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के अवधि के दौरान विज्ञाप्ति किये जाते है तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।	9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।

नियम 14 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–14(1)(एक), 14(1)(पांच), 14(2), 14(3), 14(4), 14(5)(1),14(7) के स्थान पर एवं नियम 14(11), 14(12) एवं 14(13) का अंतःस्थापन करते हुए स्तम्भ–2 में दिए गए नियम रख दिए जाएंगे, अर्थातः--

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14(1)(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।	**14(1)(एक)** अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र जालसाजी(फर्जी) पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14(1)(पांच) भर्ती हेतु आवेदन पत्र उत्तराखण्ड राज्य के किसी एक जिले के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे अथवा डाक के	**14 (1)(पांच)** भर्ती हेतु आवेदन पत्र नियम 3 (ट) में निहित प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित चयन आयोग को अन्तिम तिथि की सायं 17.00 बजे तक जमा करना होगा।

माध्यम से जमा किये जायेगें।

14(2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण प्रवेश पत्र जारी किये जाने से पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन –पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत प्रवेश पत्र पात्र अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगें। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र शारीरिक मानक परीक्षा के कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा के प्रारम्भ के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त नही होता हैं तो अभ्यर्थी सम्बन्धित जिले के प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से या स्वयं सम्पर्क करेगा, अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देगा। जिसके उपरांत विभाग/संस्था द्वारा प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति उसे जारी की जाएगी।

14(3) समस्त अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होगें जिनकी प्रकिया परिशिष्ट–2 एवं परिशिष्ट–3 में दी गई है।

14(4) उप नियम (3) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–4 में दी गई है।

आवेदन पत्र सम्बन्धित चयन आयोग के कार्यालय में कार्यालय दिवस में सीधे भी जमा किए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14(2) आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध कराएंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।

14(3) सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र समस्त अभ्यर्थियों की एक सूची पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा, जिनके द्वारा एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–2 एवं परिशिष्ट–3 में दी गई है।

14(4) उप नियम (3) के अधीन शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित करेगा। नियम 3 (ट) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा सफल

Pankaj

घोषित अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–4 में दी गई है।

14(5)(1) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत एकीकृत श्रेणीवार मैरिट सूचियां बनाई जायेंगी तथा इसे संबंधित चयन आयोग व उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

14(5)(1) उप नियम (4) के अनुसार चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्राप्त अंको के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की बैवसाईट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाईट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

14(7) सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जायेगी।

14(7) सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति नियम 3(ट) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा निर्गत की जायेगी।

बन्ध पत्र

14(11) अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।

शपथ पत्र

14(12) अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

नियुक्ति पत्र

14(13) अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

नियम 17 का संशोधन

6. मूल नियमावली में नियम 17 के उपनियम (2) के पश्चात् उपनियम (3) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(3) प्रत्येक निरीक्षक/उप निरीक्षक समय–समय पर निर्धारित शस्त्र चालान एवं फायरिंग अभ्यास करेगें।

नियम 21 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21(2)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21(2)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे । परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त उप निरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी ।	21(2)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उपनिरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहाँ तक हो सके तीनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम ज्येष्ठता, द्वितीय विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं तृतीय सीधी भर्ती से नियुक्त उप निरीक्षक) निर्धारित की जायेगी।

नियम 22 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नियम 22 में उपनियम (2) के पश्चात् नया उपनियम (3) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

परीविक्षा अवधि के दौरान वेतन

(3) परिवीक्षा के दौरान वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

नियम 26 का अन्तःस्थापन

9. मूल नियमावली में नया नियम 26 को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

पदोन्नति से इंकार

"26. पदोन्नति लेने से इन्कार करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020' के प्राविधान तथा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे।"

परिशिष्ट 3 का संशोधन

10. मूल नियमावली में परिशिष्ट 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि (क), (ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में निर्धारित में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है।	(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो । इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है।
(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साईट पर नित्य अपलोड़ की जायेगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।	(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/ असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।

परिशिष्ट 4 का संशोधन

11. मूल नियमावली में परिशिष्ट 4 में नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान प्रविष्टि 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(3) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों में होगी। OMR

तीन प्रतियों में होगी। OMR Sheet की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR Sheet की दूसरी कार्बन प्रति (मय छायाप्रति) लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था की अभिरक्षा में रखी जायेंगी। OMR Sheet की तृतीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

Sheet की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR Sheet की द्वितीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

परिशिष्ट 5 का संशोधन

12. मूल नियमावली में परिशिष्ट–5 में दी गई प्रविष्टि (ख) एवं (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(ख) लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस	**(ख)** लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन सम्बन्धित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित

Parkash

मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा संपन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी । ओएमआर शीट की कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक की अभिरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी। ओमआर शीट की एक कार्बन प्रति संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा । चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

परीक्षा हेतु ओएमआर शीट दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्था के पास रखी जायेगी। ओएमआर शीट की एक कार्बन प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अंर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

(च) पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार जनपद/वाहिनी प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे, सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात

चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक/अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति /अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित

की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराये जायेंगे कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये हैं, तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित जनपद प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट(एक्सल में सेल मर्ज किये बगैर सीडी एवं हार्ड कापी सहित) चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्याः 137 (1)/XX–7–2019–01(69)2016, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की 250 प्रतियां प्रकाशित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार की विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार)
उप सचिव